

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 136] No. 136] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2016/पौष 28, 1937

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2016/PAUSA 28, 1937

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 18 जनवरी. 2016

का.आ. 152(अ).—केंद्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 1) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 26 जनवरी 2016 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[सं. 11012/1/2002-पीसीआर (डेस्क)]

आईन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2016

S.O. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015 (1 of 2016), the Central Government hereby appoints the 26th day of January, 2016 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. 11012/1/2002-PCR (Desk)] AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

257 GI/2016